



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda.jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 4202

दिनांक:- 29/03/2023

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिरूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 को उपायुक्त (जोन-1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिरामें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 449/2 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-


01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जाना जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः प्रट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 149 के ले-आउट प्लान के संबंध में।


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये आवासीय ब्लॉक (क्षेत्रफल 1319.38 वर्गमीटर) में मौका अनुसार भूखण्ड दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।


एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 118/2 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार दर्शाये गए आवासीय क्षेत्र व रक्षा क्षेत्र के संबंध में जोन स्तर से परीक्षण उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


सहसचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण


अधिसाधी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/4203-4208

दिनांक:- 29/03/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर



सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर